सर्वोच्च प्राथमिकता/कोर्ट केस/ईमेल भी

संख्या–284/आठ–4–2024–03एन/2023

प्रेषक,

डा0 नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री कमलेन्द्र मिश्रा,
एडवोकेट ऑन रिकार्ड,
मा0 उच्चतम न्यायालय,
नई दिल्ली।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक : 15 मार्च, 2024

विषयः उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ, प्रबन्ध और उपयोग) अध्यादेश, 2024 के सम्बन्ध में कैविएट दाखिल किये जाने विषयक।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि विधायी अनुभाग–1 उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या–87/79–वि0–1–2024–2–क–5–2024 दिनांक 07.03.2024 द्वारा "उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ, प्रबन्ध और उपयोग) अध्यादेश, 2024" (प्रतिलिपि संलग्न) का प्रख्यापन किया गया है। उक्त अध्यादेश के प्रभावी हो जाने के फलस्वरूप विभिन्न न्यायालयों में इस अध्यादेश को चुनौती दिये जाने की सम्भावना है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ, प्रबन्ध और उपयोग) अध्यादेश, 2024 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में चुनौती दिये जाने की सम्भावना के दृष्टिगत इस प्रकार के समस्त वादों में तत्काल कैविएट दाखिल कराने का कष्ट करें ताकि शासकीय हित प्रभावित न हों।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण से भिज्ञ अधिकारी को पैरोकार अधिकारी नामित करते हुए उसे एडवोकेट ऑन रिकार्ड कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर तत्काल कैविएट दाखिल कराये जाने तथा प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराते हुए शासन को अवगत कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।